

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांदा

पत्रांक संख्या-41/नियुक्ति/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/2023/दिनांक-25 अप्रैल 2023

विज्ञप्ति


माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-15325/2022 एडमिन जी-1 सेक्शन/इलाहाबाद दिनांकित नवम्बर 30, 2022 एवं उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-रिट-317/30.03.2022 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकित-27.09.2022 तथा पत्र संख्या-एम.ए.सी.टी.-73/30.03.2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकित 25 फरवरी 2020 के क्रम में सेवानिवृत्त कार्मिकों के संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. कनिष्ठ लिपिक | 01 पद |
| 2. कनिष्ठ लेखाकार | 01 पद |

इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 06.05.2023 तक **कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांदा, सिविल कोर्ट कैम्पस, बांदा** को केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किए जा सकते हैं। निर्धारित अवधि दिनांक 06.05.2023 को सायं 05:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट:-

- सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने विभाग से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्त के समय प्राप्त कुल वेतन का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
- सेवानिवृत्त कर्मिकों को संविदा के आधार पर रखे जाने पर उन्हें संविदा के रूप में मिलने वाली राशि संबंधित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो तो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी।
- न्यायिक कार्य में भिन्न (दक्ष) कार्मिक को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- यह समस्त पद पूर्णतः अस्थायी हैं और उक्त पदों पर शासन से नियुक्ति हो जाने पर अथवा 65 वर्ष पूर्ण कर लेने पर यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।
- आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


पीठसूची अधिकारी
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बांदा
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बांदा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बांदा के संचालन हेतु सेवानिवृत्ति कार्मिको का संविदा पर रखे जाने हेतु

आवेदन पत्र

विज्ञापि संख्या-41/नियुक्ति/मो0दु0दा0अधि0/2023/बांदा

दिनांक 25 अप्रैल 2023

1. आवेदित पद का नाम-
2. आवेदक का नाम-
3. पिता/पति का नाम-

पासपोर्ट साइज फोटो
चस्पा करे

4. जन्मतिथि-.....(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं मोबइल नम्बर-
6. आधार नम्बर-.....(आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
7. गृह जनपद-
8. सेवानिवृत्त का विवरण (1) सेवानिवृत्त की तिथि-
(2) विभाग का नाम-
(3) सेवानिवृत्त के समय धारित पद नाम-
(4) अन्तरिम आहरित वेतन-
(5) मूल पेंशन की धराशि (बिना मँहगाई भत्ता के)-
(6) पी.पी.ओ. संख्या-
9. अन्य योग्यता यदि कोई हो तो-
दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने विभाग से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्त के समय प्राप्त कुल वेतन का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
2. सेवानिवृत्त कार्मिक को संविदा के आधार पर रखे जाने पर उन्हें संविदा के रूप में मिनले वाली राशि सम्बन्धित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो तो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी।
3. चयन के समय न्यायालयीय कार्यो से भिन्न (दक्ष) कार्मिक को यथा आशुलिपिक (स्टेनो) को वरीयता दी जाएगी।
4. सेवानिवृत्त कार्मिक से भरे जाने की व्यवस्था अनन्तिम रूप से की जा रही है। पूर्ण कालिक (सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति) कार्मिको की तैनाती होने के उपरान्त उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी।